कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः प्र.शा.स. / सा.नि.वि. / 14–15 / डी– 852 दिनांकः 25/3/2015

ACE (W.B)
S.E (PM&SY)
AAO

परिपत्र

प्रायः यह पाया गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों से लेखा परीक्षण हेतु प्राप्त निविदा पत्रावलियों में संवेदकों द्वारा निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में सावधी जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) जमा की जा रही है। सावधी जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) को अमानत राशि के रूप में स्वीकार करना नियमों के विपरीत है। तकनीकी बिड के मूल्यांकन के दौरान संवेदक के वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण–पत्र की स्थिति तथा संवेदकों द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि एवं अन्य शुल्क का विवरण उल्लेख भी नहीं किया जाता है।

अतः निविदा प्रकरणों की समुचित जॉच हेतु निम्न आवश्यक दस्तावेज / निर्देशों की पालना वांछनीय है :–

1. तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु तैयार की गयी तकनीकी बिड मुल्यांकन तालिका में निविदा में भाग लेने वाले सभी संवेदकों के वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण–पत्र तथा संवेदकों द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि एवं अन्य शुल्क का विवरण अंकित किया जावे। उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ भी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न की जावे।
2. निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों द्वारा अमानत राशि के लिए जमा कराई गयी सावधी जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) को स्वीकार नहीं किया जावे।
3. निविदा पत्रावलियों के परीक्षण पश्चात लेखा–शाखा द्वारा अंकित आक्षेपों की आवश्यक पूर्ती पश्चात समस्त पत्रावलियाँ लेखा–शाखा को पुनः भिजवाया जावे। जिससे आक्षेपों के निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके।
4. प्राप्त दरों की औचित्यता के निर्धारण हेतु अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रचलित बाजार दर विश्लेषण (Prevailing market rate analysis) का तकनीकी शाखा (मुख्यालय) द्वारा तकनीकि दृष्टि से समुचित परीक्षण करने की टिप्पणी भी पत्रावली पर होना वांछनीय है।
5. निविदा प्रकरण के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जाने तथा नियमों के परिपेक्ष्य में सभी औपचारिकताए पूर्ण होने की सुनिश्चितता करने की पश्चात ही अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण भेजा जाना सुनिश्चित करें।

अतः निविदा प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।

(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः प्र.शा.स. / सा.नि.वि. / 14–15 / डी– 852 दिनांकः 25/3/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
2. निजी सचिव / वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन / एन.एच. / पीएमजीएसवाई / एस.एस. / पथ / यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

D:\Office Work\Word Work\Letter Hindi (New)

क्रमांकः प्र.शा.स./सा.नि.वि./14–15/डी– 852 दिनांकः 25/3/2015

समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि निविदा प्रकरणों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांकः 790 दिनांकः 04.03.2015 एवं उपरोक्त परिपत्र में उल्लेखित बिन्दुओं/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

ACE (W.B) / S.E (W.B.) / S.E (PMGSY) / AAO. Secy. II / P.S.
26/3/15
CE (PMGSY)

(आलोक माथुर)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

Chief Engineer (PMGSY)
RR No. 6575 Date 25/3/15

D:\Office Work\Word Work\Letter Hindi (New)